an>

Title: Regarding transfer of educational institutes in Chhattisgarh -laid.

श्री मोहन मंडावी (कांकेर): छतीसगढ़ मे शिक्षा के एकीकरण की दृष्टि से स्कूल शिक्षा विभाग आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग एवं नगरीय प्रशासन विकास विभाग के शैक्षणिक संस्थानो को स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया । परंतु इतने वर्षों पश्चात भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग ने खेल परिसर के शैक्षणिक हिस्से को अब तक स्कूल शिक्षा विभाग को सौपा ही नहीं है । वर्ष 2015 मे छतीसगढ़ सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र मे लिए गए अहम निर्णय एवं सामान्य प्रशासन विभाग छतीसगढ़ शासन के आदेश की अवमानना परिलक्षित होती है । छतीसगढ़ के सभी खेल परिसरों मे व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति, कोच के पद पर पदोन्नति, वेतन आहरण इत्यादि सम्पूर्ण दायित्वों का निर्वहन उक्त व्यवस्था के तहत स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा ही किया जाना है । अत: माननीय मंत्री जी से गुजारिश है, कि शासन के उक्त आदेश का अक्षरश: पालन करने हेतु छतीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग को निर्देशित करने की महान कृपा हो ।